टाल विकास योजना वर्ष 2015–16 अन्तर्गत समेकित कीट प्रबंधन के तहत फार्मर्स फिल्ड स्कूल (FFS) कार्यक्रम का कार्यान्वयन अनुदेश।

कार्यक्रम का परिचयः–

साठ के दशक से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने से एक तरफ कृषि उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी तरफ विगत चार–पाँच दशकों में कीट/व्याधि के नियंत्रण हेतु कृषि रसायनों का व्यवहार भी बढ़ा है। अनावश्यक एवं अंधाधुन कीटनाशी के प्रयोग से कीटों में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, जैविक नियंत्रण के कारकों का विनष्टीकरण, कृषि परिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ना पर्यावरण प्रदूषण साथ ही उत्पादन में खर्च की बढ़ोतरी के कारण कृषि में शुद्ध लाभ की कमी हुई है।

पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने एवं वातावरण की सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान मे रखकर बिहार सरकार द्वारा समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम अपनाया गया है, ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ कृषि उपज की गुणवत्ता एवं पर्यावरण संरक्षण आदि में सुधार हो सके। टाल विकास योजना राज्य के 6 जिलों के टाल क्षेत्रों में दलहनी फसलों पर चलाई जा रही है। चुँकी टाल क्षेत्र में रब्बी दलहन ही महत्वपूर्ण फसल के रूप में उत्पादित किये जाते है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की भाँति वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रत्येक टाल क्षेत्र के प्रखंडों में दलहनी फसल पर कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (FFS) चलाया जायेगा।

1. कार्यक्रम का उद्देश्यः–

1. कम खर्च में अधिकतम फसल उत्पादन कर किसानों के शुद्ध लाभ में वृद्धि करना।
2. विष रहित खाद्यान्न का उत्पादन कर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना।
3. मानव जीवन में रसायनों के प्रयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करना।
4. पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना ताकि इकोलोजिकल संतुलन बना रहें।
5. फसल सुरक्षा में रसायनिक कीटनाशियों को अंतिम शस्त्र के रूप में प्रयोग करना।

दलहनी फसल के अन्तर्गत समेकित कीट प्रबंधन प्रत्यक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला की सफल भूमिका रही है। कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला का उद्धेश्य कृषकों द्वारा अपने फसलों के कृषि परिस्थितिक तंत्र का विश्लेषण करना एवं तदनुसार फसलों पर विभिन्न जैविक एवं अजैविक कारकों का प्रभाव के अनुसार निर्णय लेना है। यह प्रशिक्षण चौदह सत्र में सम्पन्न होगा। गत वित्तीय वर्ष के अनुभव को देखते हुए यह आवश्यक है कि प्रत्येक FFS में जाने वाले मास्टर ट्रेनर को एक निश्चित मानदेय 1500 रू0 प्रत्येक पूर्ण सत्रों (Season) के लिए प्रदान की जाय, ताकि प्रशिक्षण में उनको प्रेरणा की प्राप्ति हो सके। कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (FFS) की अनुमान्य दर 26700/–रूपये है। जो अनुसूची XI के माध्यम से संलग्न है। **कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की स्वीकृति अनुसूचि–I एवं II के रूप में संलग्न है।**

2. कार्यान्वयन एजेन्सी एवं सामान्य निदेश :–

2.1 टाल विकास कार्यक्रम के राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार पटना एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार पटना होगें। योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा किया जायेगा, 2.2 सभी पदाधिकारी प्रगति प्रतिवेदन अनुसूची–III एवं VI के माध्यम से माह के 2 (द्वितीय) तारीख तक संयुक्त निदेशक, (पौधा संरक्षण) बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगें, संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) द्वारा सभी प्रतिवेदन को संकलित कर अनुसूची–IV एवं V के माध्यम से कृषि निदेशक, बिहार पटना को उपलब्ध करायेगें।

सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण जिले में प्राप्त लक्ष्य को प्रखण्डवार विखंडन कर इसकी सूचना जिला पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को देगें।

3. विभिन्न कार्यन्वयन एजेन्सी का कार्य एवं दायित्व

I. **जिला कार्यन्वयन एजेन्सी**

3.1. योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला हेतु आवंटित लक्ष्य को प्रखण्डवार/पंचायतवार लक्ष्य निर्धारित किया जाना।

3.2. समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत योजना के विरूद्ध प्राप्त राशि का अलग रोकड़ पंजी/बैंक खाता संधारित किया जाना।

3.3. राज्य स्तर से उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक सही ढंग से संधारित कर प्रतिवेदन भेजा जाना।

3.4. योजना के क्रियान्वयन हेतु लाभुकों के चयन एवं उपादान वितरण में पंचायती राज संस्थाओं की यथा सम्भव सहभागिता सुनिश्चित करना।

3.5. प्रत्यक्षण हेतु विभिन्न उपादानों यथा आई0 पी0 एम0 किटवैग, बीजोपचार कीटनाशी, फेरोमोन ट्रैप्स, बायो पेस्टीसाईड, रासायनिक पेस्टीसाइड का दर निर्धारण संशोधित वित्त नियमावली 2005 के अनुसार गठित क्रय समिति के माध्यम से कराया जायेगा।

II. **अनुमंडल स्तरीय एजेन्सी**

पौधा संरक्षण निरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्राधीन प्रखण्डों में चलने वाले एफ0 एफ0 एस0 का सघन पर्यवेक्षण करेंगें। वे क्षेत्राधीन प्रत्येक प्रखण्ड में इस कार्य में लगे कर्मियों/कृषकों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करेंगें।

III. **प्रखण्ड स्तरीय कार्यान्वित एजेन्सी**

3.6. स्थल एवं लाभुकों के चयन में प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी जिम्मेवार होगें। स्थल एवं लाभुकों का चयन प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, पौधा संरक्षण कर्मी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के सहयोग से करेगें।

3.7. प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा सघन रूप से एफ0 एफ0 एस0 का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

4. प्रशिक्षकों की टीम का गठन एवं चौदह सप्ताह का कार्य योजना :–

4.1. प्रत्येक पाठशाला हेतु एक प्रशिक्षक पौधा संरक्षण कर्मी, एवं एक स्थानीय कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार को संबद्ध किया जाना है।

4.2. एफ0 एफ0 एस0 के लिए चयनित मास्टर ट्रेनर को दो दिवसीय जिला स्तरीय दो प्रशिक्षण दिया जायेगा। दो दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा अनुसूची– XII के माध्यम से संलग्न है। दूसरा कार्यक्रम एफ0 एफ0 एस0 शुरू होने के बाद मध्य समय में की जायेगी। इसमें जिलास्तरीय विभिन्न एफ0 एफ0 एस0 के On field demonstration द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन प्रशिक्षणों में कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि विश्वविधालय के वैज्ञानिकों, कृषि पदाधिकारियों एवं सेवानिवृत कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षकों को प्रत्येक सत्र के लिए मानदेय देय होगा। दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण 450 रूपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से किया जायेगा।(अनुसूचि – XIII संलग्न) एफ0 एफ0 एस0 में 4–5 घंटे तक मास्टर ट्रेनर को कृषकों के बीच रहना होगा। कार्यान्वयन पदाधिकारी स्थानीय स्तर पर किसानों को सुविधानुसार उपलब्ध समय के अनुरूप समय का निर्धारण कर एफ0 एफ0 एस0 में कृषकों की सहभागिता शत–प्रतिशत सुनिशिचित करेगें। (राष्ट्रीय पर्व की छुट्टी जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 2 अक्टूबर को छोड़कर) चौदह सप्ताह में किये जाने वाले कार्य की अनुसूची–X पर संलग्न है।

4.3. वरीय पौधा संरक्षण कर्मी (यथा पौधा संरक्षण निरीक्षक/पर्यवेक्षक/क्षेत्र परिचालक आदि को प्रशिक्षण दल के टीम लीडर के रूप में जिला कार्यान्वयन पदाधिकारी द्वारा चयन किया जायेगा।

4.4. जिला कार्यन्वयन पदाधिकारी, एफ0 एफ0 एस0 का संचालन मास्टर ट्रेनर एवं उनके टीम लीडर द्वारा करवायेगें।

5. प्रत्यक्षण स्थल का चुनाव :–

5.1. टाल क्षेत्र में पहुॅच क्षेत्रों में प्रत्यक्षण सह प्रशिक्षण हेतु रब्बी दलहन फसलों (यथा चना, मसूर, मटर) में इसका चुनाव किया जाना आवश्यक है।

5.2. प्रत्यक्षण स्थल 1 हे0 फसल क्षेत्र में एफ0 एफ0 एस0 चलाने हेतु किया जाना है।

5.3. प्रत्यक्षण स्थल प्रखण्ड मुख्यालय से निकट एवं आसानी से पहुॅच वाले स्थान पर होना चाहिए, ताकि एफ0 एफ0 एस0 का लाभ अन्य कृषकों को भी उपलब्ध हो सके।

5.4. प्रत्यक्षण स्थल का चुनाव जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेन्सी के निदेशानुसार मास्टर ट्रेनर (क्षेत्र परिचालक/कृषि समन्वयक/कृषक सलाहकार आदि) द्वारा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी की अनुशंसा पर की जायेगी।

5.5. वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 में विभिन्न योजनाओं (टाल विकास योजना) एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए योजनाओं में शामिल फार्म स्कूल में चयनित ग्राम/कृषक को छोड़कर प्रत्यक्षण स्थल एवं प्रशिक्षु का चयन करना आवश्यक होगा।

6. बेंच मार्क सर्वे :–

आई0 पी0 एम0 प्रत्यक्षण हेतु चुने गए क्षेत्र एवं कृषकों का बेंच मार्क सर्वेक्षण, कार्यक्रम के प्रारम्भ में किया जाना है। इससे कीट/व्याधि समस्या का अनुमान, कीटनाशी रसायनों के प्रयोग का स्तर, फसलों की उगायी जानेवाली किस्में, खेतों के आकार एवं कृषकों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। (अनुलग्नक–VIII)

7. कृषकों के साथ बैठक :–

प्रत्यक्षण–सह– प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने के पूर्व मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षुओं के टीम के साथ प्रोग्राम के संबंध में विमर्श करते हुए, कृषि पारिस्थिति तंत्र विश्लेषण करना जिसमें समेकित कीट प्रबंधन को विस्तृत रूप में जानकारी देना, पेस्टीसाईड का दुष्परिणाम एवं जैविक नियंत्रण के कारकों जो कृषकों के मित्रकीट है, का कीटनाशियों के व्यवहार से क्षति नहीं पहुॅचा सके, इन सभी विन्दुओं पर विस्तृत चर्चा के बाद वैसे कृषकों को प्रशिक्षु किसान के रूप में चयन किया जाना है जो एक दिन में 4–5 घंटे समय दे सकें।

8. प्रशिक्षुओं का चुनाव :–

8.1. प्रत्येक कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला में समेकित कीट प्रबंधन प्रत्यक्षण –सह– प्रशिक्षण के लिए 30 कृषक 5 प्रशिक्षु पदाधिकारी के रूप प्रगतिशील कृषक/एन0 जी0 ओ0 का चुनाव किया जाय। प्रशिक्षुओं के चुनाव में सभी वर्ग के कृषकों को चुना जाना है। जिसमें 16% अनुसूचित जाति एवं 1% अनुसूचित जनजाति की सहभागिता आवश्यक होगी। प्रशिक्षुओं में महिला प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी प्रशिक्षुओं को आई0 पी0 एम0 कीट उपलब्ध कराया जाना है तथा प्रत्येक एफ0 एफ0 एस0 में 5 स्वीपनेट केवल टीम लीडर को उपलब्ध कराना है। (अनुसूची–IX)

8.2. ज्यादा कृषकों के बीच ज्ञान संर्वधन हेतु पूर्व के एफ0 एफ0 एस0 में शामिल कृषकों का चयन नहीं किया जाना चाहिए।

8.3. मास्टर ट्रेनर के टीम लीडर द्वारा स्थानीय कृषि समन्वयक एवं कृषक सलाहकार की सहायता से त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्यों में से किसी एक से अनुमोदनोपरान्त प्रशिक्षुओं का चुनाव किया जाना है।

8.4. चयनित कृषकों की संकलित सूची हार्ड कापी एवं सॉफ्ट कॉपी में जिला कार्यन्वयन पदाधिकारी द्वारा राज्य नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

9. कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला के विस्तृत कार्यक्रम :–

कृषक क्षेत्र पाठशाला के विस्तृत कार्यक्रम इस प्रकार होगें।

सुबह 7.30 से 9.30 बजे तक।

कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रभारी पदाधिकारी प्रत्येक पाठशाला में सभी प्रशिक्षु कृषकों को आई0 पी0 एम0 कीट की आपूर्ति करना सुनिश्चित करेगें। प्रशिक्षकों के दल के साथ प्रशिक्षु के समूह खेत के सामान्य स्थिति, पौधों के नमूने, कीट को एकत्रित करना एवं मित्र कीट, शत्रु कीट की पहचान करना। प्रशिक्षु द्वारा कीट/व्याधि की तीव्रता का एक नोट भी तैयार किया जायेगा। इसके अलावें पौधे के स्वास्थ्य (व्यवहारिक नियंत्रण) पर चर्चा कर अगले कोर्स के लिए निर्णय लिया जायेगा।

सुबह 9.30 से 10.30 बजे तक

खेत का विस्तृत मुआयना कर भाग लेने वाले प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षु एक पेड़ के नीचे/ विघालय/पंचायत भवन आदि जगहों पर एकत्रित होकर खेत में किए गए मुआयना पर चर्चा करेगें एवं उस दिन किए गए कार्यो का निष्कर्ष निकालेगें।

सुबह 10.30 से 11.30 बजे तक

विशेष टॉपिक पर चर्चा

फसल स्थिति के विशेष समस्या जैसे बीजोपचार, हेलीकोभर्पा, स्पोडोप्टेरा, उखड़ा के प्रबंधन, चूहा नियंत्रण, सुक्ष्म तत्वों की कमी, जल, उर्वरक एवं कीटनाशियों का प्रबंधन इत्यादि।

10. गैर आई0 पी0 एम0 क्षेत्रों की सूचनाः–

अपनाये गए आई0 पी0 एम0 क्षेत्रों के मूल्यांकन हेतु गैर आई0 पी0 एम0 क्षेत्रों के रेकार्ड का तुलनात्मक अध्ययन करना।

11. अभिलेखों का रख– रखाव :–

प्रशिक्षकों के टीम लीडर को प्रत्येक प्रत्यक्षण स्थल का रेकार्ड तैयार कर आई0 पी0 एम0 पंजी का संधारण करना है एवं भ्रमण के दौरान इस पंजी पर उच्चाधिकारियों से संक्षिप्त टिप्पणी एवं सुझाव प्राप्त करना है। टाल क्षेत्र के प्रत्येक प्रखण्ड में चार एफ0 एफ0 एस0 चलाया जाना है मास्टर ट्रेनर सप्ताह में सोमवार से वृहस्पतिवार तक प्रशिक्षण देने के उपरान्त प्रत्येक शुक्रवार को एफ0 एफ0 एस0 का प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण को भेजेगें। सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण जिला का संकलित मासिक प्रतिवेदन अनुसूची–V एवं VI के अनुसार राज्य नोडल पदाधिकारी को प्रत्येक माह की 02 तारीख तक अवश्य भेजेंगे, साथ ही प्रपत्र–VII में प्रतिवेदन 7 वें सप्ताह तक अवश्य भेज देंगे। संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण इसे संकलित कर मासिक प्रतिवेदन अनुसूची–III एवं IV में राज्य स्तर को समर्पित करेगें।

12. कृषक प्रक्षेत्र दिवस :–

अंतिम सत्र के बाद प्रशिक्षु कृषकों का प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया जायगा, जहॉ पर प्रशिक्षु कृषकों के साथ–साथ गैर आई0 पी0 एम0 फिल्ड के कृषक एवं टाल विकास योजना में लाभान्वित कृषकों से विस्तृत चर्चा, विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षकों द्वारा की जायेगी। कार्यक्रम में भविष्य में सुधार के लिए किए गए सफल/असफल कदमों को अंकित किया जायेगा।

प्रक्षेत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय पदाधिकारी एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों/ एन0 जी0 ओ0/ कृषकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। आई0 पी0 एम0 एवं गैर आई0 पी0 एम0

क्षेत्रों में फसल कटनी जॉच किया जाना है। जिससे तुलनात्मक उपज का अध्ययन किया जा सके।

प्रक्षेत्र दिवस पर संबंधित कार्यान्वयन पदाधिकारी भी उपस्थिति होगें, ताकि कृषकों को एफ0 एफ0 एस0 से प्राप्त फीड वैक प्राप्त कर इसकी सूचना उच्चाधिकारी को प्राप्त कराई जा सके।

13. कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (एफ0 एफ0 एस0) संचालन हेतु कार्यक्रम की समयबद्ध रूपरेखा।

क्र0 सं0	कार्य	उत्तरदायी पदाधिकारी	कार्य की अंतिम तिथि
1	जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रथम प्रशिक्षण	सहायक निदेशक, पौ0 सं0, सर्वे0 (मु0) एवं सहायक निदेशक (पौ0 सं0) आई0 पी0 एम0/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना।	फरवरी 2016 के द्वितीय सप्ताह तक
2	जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का द्वितीय प्रशिक्षण	सहायक निदेशक, पौ0 सं0, सर्वे0 (मु0) एवं सहायक निदेशक (पौ0 सं0) आई0 पी0 एम0/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना। ।	फरवरी 2016 के अंतिम सप्ताह तक
4	बेंच मार्क सर्वे0 एवं कृषकों के साथ प्रारंभिक बेंच, प्रशिक्षुओं का चुनाव एवं एफ0 एफ0 एस0 आरम्भ हाने का प्रथम सप्ताह	मास्टर ट्रेनर/ पौधा संरक्षण निरीक्षक/ सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण ।	जनवरी 2016 के चर्तुथ अंतिम सप्ताह तक
5	फिल्ड डे आयोजित करने की अंतिम तिथि	मास्टर ट्रेनर/ पौधा संरक्षण निरीक्षक/ सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण।	मार्च 2016 के अंतिम सप्ताह तक

उपरोक्त कार्यान्वयन अनुदेश में कृषि निदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,
बिहार पटना–सह– नोडल
पदाधिकारी